

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 86/11-12

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — अघोर प्रकाश शिशु सदन मध्य विद्यालय, खजांची रोड, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि — लेखा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन (विकास) विभाग, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा०

के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 1.04.06 से 30.6.06 पूर्वा० तक

2. श्री राम सागर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 30.6.06 अप० से दि० 07.07.08 पूर्वा० तक

3. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 07.07.08 अप० से दि० 31.03.11 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्रीमती माधुरी प्रसाद, प्रधानाध्यापिका

दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 01.03.2008 तक

2. श्रीमती आशा लता सिन्हा, प्रधानाध्यापिका

दिनांक 2.3.2008 से दिनांक 31.12.2010 तक

3. श्रीमती नूपूर गुप्ता, प्रधानाध्यापिका दिनांक 1.1.11 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० के नाम एवं पदनाम — श्रीमती नूपूर गुप्ता , प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम — 1. श्री अविनाश कुमार , व० अ०— 2
2. श्री अजय कुमार , व० अ०—2

(ग) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — दि० 26.08.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि — दि० 08.09.11

(ज) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस — 6 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र —

1. अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य अंकेक्षण
2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि — 3286/15.9.1960
3. कार्यालय का कार्यक्षेत्र —

यह विद्यालय बिहार सोसाईटी एक्ट 1860 के अधीन वर्ष 1955 में स्थापित एवं पंजीकृत है। यह विद्यालय बिहार सरकार द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित है। इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन, भत्ता एवं भविष्य निधि मद में सरकार द्वारा राशि अनुदान स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त राशि का अंकेक्षण तथा प्राप्त अनुदान का सत्यापन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पटना के अभिलेखों से किया गया।

विद्यालय का संचालन, प्रशासन , अनुरक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति, बालिका पोशाक योजना एवं मध्याह्न योजन आदि का क्रिया — व्यय तथा नियंत्रण प्रबंध सपिति द्वारा किया जाता है।

4. वित्तीय स्त्रोत :- अनुदान — अनुदान, विवरण परिशिष्ट 'ख' पर ।
5. कोषागार अभिलेख से सत्यापन तिथि :- कोषागार सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
6. महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :- अनुपालन प्रेषित किया गया है या नहीं — नहीं किया गया है।

बार-बार अनुरोध करने पर भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं दिया गया।
फलतः अनुपालन से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	अनुपालन भेजा गया	अनुपालन नहीं भेजा गया।
116/08-09	आ० सं० 2 (विलोपित)	आ० सं० - 3 एवं 4

(3) वित्तीय समीक्षा :-

1. आवंटन की स्थिति में - क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई है - नहीं।
2. अनुदान की स्थिति में - क्या अनुदान से अधिक व्यय की गई है - नहीं।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था- नहीं।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति - भौतिक सत्यापन किया गया।
5. रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति - शून्य

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :-

पदनाम/स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक / कम
प्रधानाध्यापिका 01	01	-
सहायक शिक्षक 05	05	-

भाग -2

(5) वेतन में मँहगाई भत्ता विलय के कारण अधिक भुगतान राशि रू० 81096.00 वसूली योग्य :-

शिक्षकों के वेतन मद में भुगतान राशि के अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रा० विद्यालयों के शिक्षकों को वित्त विभाग के ज्ञापांक 1773 वि० (2) दिनांक 02.04.05 के निदेश के आलोक में मूल वेतन में मँहगाई वेतन का 50 प्रतिशत राशि सम्मिलित कर बढ़े हुए वेतन पर मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा का भुगतान किया गया था। विदित हो कि यह निदेश सरकारी सेवकों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मँहगाई भत्ता की राशि को दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से वेतन में विलय करने हेतु था। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्या सहित) प्रा० विद्यालयों के शिक्षकों के लिए देय नहीं था।

इन्ही कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला पटना ने अपने पत्रांक 7952 दिनांक 17.09.07 द्वारा इस प्रकार के विलय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा लगाये गये रोक के पूर्व ही कुछ माह तक विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता विलय कर बढ़े हुए वेतन पर मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता का लाभ प्राप्त कर लिया गया था। जिसके कारण कुल रू0 81096.00 का अधिक भुगतान विभिन्न शिक्षकों को कर दिया गया था। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि “विभाग से निदेश प्राप्त होने पर वसूली हेतु कदम उठाया जायेगा” अधिक भुगतान का विवरण परिशिष्ट ‘ग’ पर अंकित है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग अपने स्तर से वसूली हेतु उचित कदम उठाये तथा राशि रू0 81096.00 वसूली उपरान्त संबंधित कार्यालय को आवश्यक कार्याथ वापस कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दिया जाये।

(6) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 3653379.00 आपत्तिन्तर्गत :-

वेतनादि मद में भुगतान राशि के अंकेक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006—07 से 2010—11 तक के अवधिन्तर्गत में वेतनादि राशि के व्यय रू0 3653379.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को नहीं भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः उक्त नियमावली के नियम 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत अनुदानों, अंशदानों एवं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, विशिष्ट निर्माणों एवं सेवाओं आदि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीदृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देने वाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करायेगें या करेंगें।

अतः कुल राशि रू0 3653379.00 जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है, परिशिष्ट ‘घ’ पर अंकित है। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण रू0 3653379.00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है। इस दिशा में हुई प्रगति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाये।

भाग— 3 (सुझावात्मक)

(7) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :-

1. निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये— वित्त विभाग को ज्ञापांक ए0 आर0 — 06—19/53—29 वि0 दिनांक 1.6.53 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक पंजी संधारित किया जाये।

2. रोकड़ बही की त्रुटियाँ – रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित दिया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (iii) के अनुरूप रोकड़ बही के योग एवं संतुलन की जाँच का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये।
3. अनुदान हेतु अलग आगत पंजी संधारित किया जाये विद्यालय द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त चेकों के लिए एक आगत पंजी संधारित किया जाये जिसमें अनुदान प्राप्ति का स्रोत, अनुदान का माध्यम (चेक या ड्राफ्ट) का विवरण, प्राप्ति तिथि, अनुदान राशि आदि का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाये। इसका संधारण आनिवार्य रूप से किया जाये।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0— 2

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेख

(क) प्रस्तुत अभिलेख :-

1. रोकड़ पुस्त (वेतन मद) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
3. भविष्य निधि पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
4. अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
5. वेतन पासबुक सभी (शिक्षक) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
6. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
7. छात्र उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
8. भविष्य निधि पास बुक (शिक्षक) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
9. प्रीप्रोजीशन स्टेटमेंट
10. नियुक्ति अनुमोदन संचिका
11. अंकक्षण प्रतिवेदन 116/08-09

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

वर्ष 06-07 से 10-11

1. विद्यालय प्रस्वीकृति मूल पत्र
2. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र (मूल)
3. भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में घोषणा पत्र
4. शिक्षकों का वरीयता सूची
5. सेवा पुस्त (अधिकांश)
6. प्रोन्नति, सेवा निवृत्ति से संबंधित संचिका

परिशिष्ट 'ख'

(कंडिका -02 (iv) से संबंधित)

अनुदान प्राप्ति एवं व्यय विवरणी

क्र० सं०	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिव्यय	बचत	प्राप्ति का चेक सं० एवं तिथि	अभियुक्ति
1	2006-07	वेतन भविष्य निधि	789064.00 38700.00	789064.00 38700.00	—	—	066823 दि० 5.4.07 066824 दि० 5.4.07	789064.0 38700.00
2	2007-08	वेतन भविष्य निधि	577502.00 33300.00	577502.00 33300.00	—	—	192554 दि० 30.3.08 192555 दि० 30.3.08	577502.00 33300.00
3	2008-09	वेतन भविष्य निधि	638523.00 36000.00	638523.00 36000.00	—	—	092882 दि० 9.3.09 092883 दि० 9.3.09	638523.00 36000.00
4	2009-10	वेतन भविष्य निधि	688204.00 48000.00	688204.00 48000.00	—	—	शून्य	शून्य
5	2010-11	वेतन भविष्य निधि	737086.00 67000.00	737086.00 67000.00	—	—	437049 दि० 17.3.11 437141 दि० 25.3.11	737086.00 67000.00

3430379.00+223000.00= 3653379.00

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका '5' से सम्बन्धित

अधोर प्रकाश शिशु सदन, पटना

क्र० सं०	शिक्षिका का नाम	माह	भुगतीत राशि					भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि			
			शून्य वेतन	मंह० वेतन 50 प्रति०	मं० भत्ता 24प्रति० / 29 प्रति०	मकान भत्ता 15 प्रति०	कुल	मूल वेतन	मंह० भत्ता 74प्रति० / 79 प्रति०	मकान भत्ता 15 प्रति०	कुल	मंह० भत्ता	मकान भत्ता	कुल राशि वसूली योग्य	
1	श्रीमती माधुरी प्रसाद प्र० शि०	मार्च 06— मई 06—	8750	4375	3150	1969	18244	8750	6475	1313	16538	1050x3=3150	656x3=1968	1706x3= 5118	20628
		जून 06 जुलाई 06	8750	4375	3150	1969	18244	8750	6475	1313	16538	1050	656	1706x1= 1706	
		अगस्त 06—	8750	4375	3806	1969	18900	8750	6913	1313	16976	1268x1=1268	656x1=656	1924x1= 1924	
		जनवरी 07	9000	4500	3915	2025	19440	9000	7110	1350	17460	1305x6=7830	675x6=4050	1980x6= 11880	
2	श्रीमती शैल धर स० शि०	मार्च 06— मई 06	6650	3325	2394	1496	13865	6650	4921	998	12569	798x3=2394	498x3=1494	1296x3=3888	5184
		जून 06	6650	3325	2394	1496	13865	6650	4921	998	12569	798x1=798	498x1=498	1296x1=1246	
3	श्रीमती रत्ना प्रसाद स० शि०	मार्च 06 जून 06	5750	2875	2070	1294	11989	5750	4255	863	10868	690x4=2760	431x4=1724	1121x4=4484	13512
		जुलाई 06	5750	2875	2501	1294	12420	5750	4543	863	11156	8331x1=833	431x1=431	1264x1=1264	
		अगस्त 06— जनवरी	5875	2938	2556	1322	12691	5875	4641	881	11397	853x6=5118	441x6=2646	1294x6=7764	

		07													
4	श्रीमती आशा लता सिन्हा स० शि०	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 अगस्त 06— जनवरी 07	5750 5750 5900	2875 2875 2950	2070 2501 2567	1294 1294 1328	11989 12420 12745	5750 5750 5900	4255 4543 4661	863 863 885	10868 11156 11446	690x4=2760 833x1=833 856x6=5136	431x4=1724 431x1=431 443x6=2658	1121x4=4484 1264x1=1264 1299x6=7794	13542
5	सुश्री नुपूर गुप्ता स० शि०	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 अगस्त 06— जनवरी 07	5750 5750 5900	2875 2875 2950	2070 2501 2567	1294 1294 1328	11989 12420 12745	5750 5750 5900	4255 4543 4661	863 863 885	10868 11156 11446	690x4=2760 833x1=833 856x6=5136	431x4=1724 431x1=431 443x6=2658	1121x4=4484 1264x1=1264 1299x6=7794	13542
6	श्रीमती स्निग्धा मजूमदार स० शि०	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 अगस्त 06— जनवरी 07	5750 5875 5875	2875 2938 2938	2070 2115 2556	1294 1322 1322	11989 12250 12691	5750 5875 5875	4255 4348 4641	863 881 881	10868 11104 11397	690x4=2760 705x1=705 853x7=5971	431x4=1724 441x1=441 441x7=3087	1121x4=4484 1146x1=1146 1294x7=9058	14688

कुल योग— 81096

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका '6' से सम्बन्धित

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया।

मद	अनु० प्राप्ति वर्ष 2006-07	अनु० प्राप्ति वर्ष 2007-2008	अनु० प्राप्ति वर्ष 2008-2009	अनु० प्राप्ति वर्ष 2009-2010	अनु० प्राप्ति वर्ष 2010-2011	कुल प्राप्ति जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना है।
वेतन	789064.00	577502.00	638523.00	688204.00	737086.00	3430379.00
भविष्य निधि	38700.00	33300.00	36000.00	48000.00	67000.00	223000.00

योग — 3653379.00